

न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

(1) राजस्व अपील सं० 13/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

द्वारका प्रसाद पुत्र चिरंजी लाल जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर गेट, तह. व जिला दौसा  
...रेस्पों०

(2) राजस्व अपील सं० 14/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

राजकुमार शर्मा पुत्र जगदीशनारायण जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर गेट, तह. व जिला दौसा

(3) राजस्व अपील सं० 15/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

राजेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीशनारायण जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर रोड दौसा तह. व जिला  
दौसा

...रेस्पों०

(4) राजस्व अपील सं० 16/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

भारत कुमार पुत्र गोवर्धन लाल जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर गेट, दौसा तह. व जिला दौसा  
...रेस्पों०

(5) राजस्व अपील सं० 17/2024

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर रोड दौसा तह. व जिला दौसा  
...रेस्पों०

(6) राजस्व अपील सं० 18/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम

हनुमान पुत्र रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी गुप्तेश्वर गेट दौसा तह. व जिला दौसा  
...रेस्पों.

(7) राजस्व अपील सं० 19/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांत

बनाम



जिला कलेक्टर, दौसा

अनिल कुमार पुत्र जगदीशनारायण सिद्ध निवासी गुप्तेश्वर गेट दौसा तह. व जिला दौसा  
...रेस्पो०

(8) राजस्व अपील सं० 20/2022

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा तह.दौसा जिला दौसा  
..... अपीलांट

बनाम

रघुनन्दन पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी गुप्तेश्वर गेट दौसा तह. व जिला दौसा  
...रेस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.12.2021 व 26.12.2021 जो तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण सं०  
55/2020 से 57/2020 व प्रकरण सं० 60/2021 से 64/2021 में पारित किये गये है।

उपस्थित:-1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।


2. श्री भुवनेश प्रसाद गंगावत, अधिवक्ता रेस्पो० अपील सं० 13/2022

3. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता रेस्पो० अपील सं० 14/2022 से 20/2022

निर्णय

दिनांक 30.04.2025

1. उक्त सभी अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त सभी अपीलों में रेस्पो० को पक्षकार बनाया गया है।
3. उक्त सभी अपीलों में अपीलांट के द्वारा तहसीलदार दौसा द्वारा निर्णय जो कि प्रकरण सं० 55/2020 से 57/2020 व प्रकरण सं० 60/2021 से 64/2021 में दिनांक 24.12.2021 व 26.12.2021 को पारित किये गये है, से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपीलो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट ने खसरा नंबर 2162 गै०मु० सडक गुप्तेश्वर रोड पर रेस्पो० द्वारा रोड बाउंड्री की भूमि पर अतिक्रमण करके दुकान का निर्माण कर लिया जिसके संबंध में अपीलांट की ओर से धारा 91 का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.12.2021 व 26.12.2021 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये। खसरा नंबर 2162 मौजूदा समय में राजस्थान सरकार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, दौसा के नाम दर्ज है उसके साबिक खसरा नंबर भी पी.डब्ल्यू.डी. विभाग दौसा के नाम दर्ज है। रेस्पो० ने खसरा नंबर 2162 पर अतिक्रमण करके दुकान का निर्माण कर लिये जिसे हटाने के लिए अपीलांट की ओर से धारा 91 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। उक्त धारा 91 की कार्यवाही दिनांक 24.12.2021 व 26.12.2021 को यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि धारा 91 के तहत कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त निर्णय के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज का भी अवलोकन नहीं करके व आंख बन्द करके बिना दिमाग लगाये न्यायालय ने अपीलांट की धारा 91 की कार्यवाही को निरस्त कर दिया जो कि निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जगदीशनारायण बनाम सिंचाई विभाग की तो कॉपी पेश करना बताया है। यह उल्लेखनीय है कि जगदीशनारायण बनाम सिंचाई विभाग में न तो रेस्पो० पक्षकार है व खसरा नंबर 2162 की भूमि भी दावे में गैर तहकीकात नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 2162 के संबंध में मौजूदा जमाबंदी पटवारी की रिपोर्ट व सैटलमेंट विभाग द्वारा ईटीएस मशीन द्वारा की गई नाप की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 2162 के संबंध में किसी प्रकार का अवलोकन नहीं किया व जगदीशनारायण बनाम सिंचाई विभाग में वर्णित भूमि 3043, 2220, 2219 के संबंध में जो दावा किया गया था 2162 के संबंध में कोई दावा भी पेश नहीं किया गया था, लेकिन

  
जिला कलेक्टर, दौसा





जगदीशनारायण के पक्ष में जो आदेश बताया गया है व रेस्पों0 के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय देने में कानूनी गलती की है। राजस्व मंडल ने दो माह का समय दिया गया था तब तक ही यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं वह भी जगदीशनारायण के पक्ष में था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद के अंतिम निर्णय होने के बाद पत्रावली प्रस्तुत हो यह आदेश गलत तौर पर दिया गया है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग होती है, अतिक्रमण को किसी भी तरह से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। खसरा नंबर 2162 रोड की भूमि है व रोड बाउंड्री की भूमि पर रेस्पों. ने अतिक्रमण कर रखा है। रेस्पों ने स्वयं ने कोई स्थगन आदेश या कोई दावा किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है ना ही कोई स्थगन आदेश लिया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद भी उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। निर्णय दिनांक 24.12.2021 व दिनांक 26.11.2021 के विरुद्ध यह अपील पेश की जा रही है। दो माह के समय में रेस्पों0 व जगदीशनारायण ने सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश भी पेश नहीं किया है जिस पर उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा कोई निर्णय भी पारित नहीं हुआ है। दिनांक 24.12.2021 व 26.12.2021 से दो माह बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को पुनः नंबर पर नहीं लिया। अपीलांट ने दिनांक 27.5.2022 को अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण पर पुनः नंबर पर लेने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्देश दिये कि सक्षम न्यायालय में नकल लेकर अपील प्रस्तुत करें, जिस पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को उक्त प्रकरण की पुनः सुनवाई करने हेतु आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता रेस्पों. ने बहस में कथन किया कि खसरा नंबर 2162 की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई की भूमि है। अपीलांट द्वारा यह अपील जो कि तहसीलदार दौसा का अन्तरिम निर्णय व ना कि अन्तिम निर्णय। न्यायालय में अन्तरिम निर्णय के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं हो सकती है। रेस्पों0 की कोई भी दुकान रोड बाउंड्री में स्थित नहीं है। है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे निरस्त फरमाई जावे।
6. तहसीलदार दौसा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार अपीलांट सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वाके ग्राम दौसा कलां के आराजी खसरा नंबर हाल 2162 रकबा 3.01 है. किस्म गै0मु0 सडक जो कि सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर रेस्पोंडेन्टस के द्वारा पुख्ता दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तहसील दौसा में प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का से जांच कराकर प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर सुनवाई प्रारंभ की गई। प्रकरण वर्तमान में भी न्यायालय तहसीलदार दौसा में विचाराधीन है। खसरा नंबर 2162 पर माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहाँ वाद विचाराधीन होने की छाया प्रतियां दौराने सुनवाई अतिक्रमी की ओर से पेश की गई जिससे न्यायालय तहसीलदार ने दिनांक 24.12.2021 व दिनांक 26.12.2021 को अपनी धारा 91 की कार्यवाही को स्थगन हटने एवं वाद का निर्णय होने तक स्थगित रखा है। धारा 91 की कार्यवाही निरस्त नहीं की गई है।
7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रकरण में विवाद खसरा नंबर 2162 ग्राम दौसा कलां किस्म गै0मु0 सडक पर अतिक्रमण के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2021 एवं दिनांक 26.12.2021 के विरुद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। जिसमें तहसीलदार द्वारा उक्त

  
जिला कलेक्टर, दौसा

खसरे के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 3.3.2021 के स्थगन आदेश एवं उप जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ विचाराधीन प्रकरण होने के कारण दोनों न्यायालय में अंतिम निर्णय होने तक कोई भी कार्यवाही नहीं करने का निर्णय पारित किया गया है। हमने माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राज अजमेर के आदेश का अवलोकन किया। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत-अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश दो माह में पारित करने के निर्देश उप जिला कलेक्टर दौसा को प्रदान किये गये थे, एवं तब तक वर्तमान खसरा नंबर 2162 पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पबंद किया गया था। उप जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दो माह में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में आदेश पारित नहीं किये गये हैं।

9. तहसीलदार दौसा द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा कार्यवाही को स्थगित किया गया है ना कि धारा 91 की कार्यवाही को निरस्त किया गया है। उनकी आदेशिका से भी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है, किन्तु उनके द्वारा आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि दोनों न्यायालय के अंतिम निर्णय होने तक कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है जो कि गलत है क्योंकि माननीय राजस्व मंडल द्वारा उप जिला कलेक्टर दौसा को अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय तक ही स्थगन आदेश प्रदान किये गये थे। एवं उप जिला कलेक्टर दौसा के स्थगन आदेश का निर्णय के बाद राजस्व मंडल का निर्णय स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण को लंबित रखा जाना न्यायोचित नहीं है
10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 एवं दिनांक 26.12.2021 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वह प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर नियमित रूप से सुनवाई करे एवं उप जिला कलेक्टर दौसा के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय पारित करने के उपरांत नियमानुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 12.5.2025 को अधीनस्थ तहसीलदार दौसा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। मूल निर्णय राजस्व अपील सं० 13/2022 में रखा जावे एवं शेष राजस्व अपील सं० 14/2022 से 20/2022 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि धि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

